ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं.76/3/अनुदेश/2016/ई ई पी एस/खंड ।। तारीख : 22 मार्च, 2016

सेवा में,

सभी व्यय प्रेक्षक।

विषय : असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंव पश्चिम बंगाल के साधारण निर्वाचन, 2016 – व्यय प्रेक्षकों और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की सभी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान एवं समन्वय।

महोदय,

मुझे व्यय प्रेक्षकों और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की सभी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सूचना के आदान-प्रदान एवं समन्वय के बारे में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण संबंधी अनुदेशों के संग्रह (जुलाई-2015) के शीर्ष ''व्यय प्रेक्षक की भूमिका'' के अधीन पैरा सं. 4.2.8 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है।

2. आयोग के ध्यान में ऐसे कुछ दृष्टांत आए जिनमें व्यय प्रेक्षक की कार्रवाई से यह धारणा पैदा हुई कि उसने प्रवर्तन कार्रवाई में अपने को सक्रिय रूप से शामिल करके अपने दायित्व सीमा का उल्लंघन किया था। इसलिए, आयोग इस बात को दोहराता है कि संग्रह के उपर्युक्त पैरा में अंतर्विष्ट दिशानिर्देशों का सभी व्यय प्रेक्षकों द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए और उन्हें विद्यमान विधियों के अनुसार अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई में शामिल होने से स्वयं को रोकना चाहिए।

भवदीय

(एस. के. रूडोला)
प्रधान सचिव

प्रतिलिपि अग्रेषित : असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ वे कृपया इसे राज्य में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के सभी नोडल अधिकारियों के ध्यान में लाएं (कैम्प बैग/ई-मेल द्वारा)।

(एस. के. रूडोला)
प्रधान सचिव